159

संख्याः 493/XX(05)/10–06/हो0गा0(बजट)/11

प्रेषक,

जे0पी0जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा,
उत्तरा.खण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–5

देहरादूनः दिनांक 18 जुलाई, 2011

विषयः–होमगार्ड्स विभाग में अनुदान संख्या–06, लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं–107–होमगार्ड्स–00–आयोजनेत्तर–04–भारत सरकार आंशिक प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय के अन्तर्गत मद संख्या–09–विद्युत देय व 12–कार्यालय फर्नीचर में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–सीजी–59/होगा/2010/309 दिनांक 28.6.2011 का का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में शासनादेश संख्या–280/XX(5) 11–06–हो0गा0(बजट)/11 दिनांक 07 अप्रैल, 2011 व पत्र संख्या–206/XX(5) 11–19–(हो0गा0)/2005 दिनांक 31.3.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2011–12 में लेखाशीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–107–हामगार्ड्स–00–आयोजनेत्तर–03 सामान्य अधिष्ठान के मद संख्या 17–किराया उपशुल्क मद में संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार बचतों को पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–107 –हामगार्ड्स–00–आयोजनेत्तर–04–भारत सरकार आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय के अन्तर्गत मद संख्या–09–विद्युत देय में **रू0 3,29,000/–(तीन लाख उन्नतीस हजार रूपये मात्र)** व मद संख्या–12 कार्यालय फर्नीचर में **रू0 1,00,000/–(रूपये एक लाख मात्र)** की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय, साथ ही व्यय करते समय वित्तीय नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों की अनुपालन सुनिश्चित की जाय।

3– बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अर्न्तगत् व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्य किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

4– जारी स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–15 पर नियमित रूप से वित्त विभाग तथा गृह विभाग को प्रत्येक माह विलम्बतम 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

5– मितव्ययिता सम्बंधी शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

6– यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2011–12 में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।

7– कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि विभागाध्यक्ष के स्तर से आहरण–वितरण अधिकारी/कोषागार स्तर को बजट तत्काल प्राप्त हो जाय।

8– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–107–हामगार्ड्स–00–आयोजनेत्तर–04–भारत सरकार आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय के अन्तर्गत मद से मद संख्या–09–विद्युत देय व मद संख्या–12 कार्यालय फर्नीचर मद के नामे डाला जायेगा एवं संलग्न प्रपत्र बी0एम0–15 के अनुसार बचतों से वहन किया जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–**62NP/XXVII/(5)2011-12** दिनांक 13 जुलाई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(जे0पी0जोशी)
संयुक्त सचिव।

18.7.11

संख्याः 493(1)/**XX**(05)/11–06(हो0गा0)बजट/11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2–निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन।
3–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4–वित्त अनुभाग–1/5
5–एन0 आई0 सी0 सचिवालय परिसर।
6–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एस0चौहान)
अनुसचिव।